पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 11 एवं एन0बी0डब्लू0 में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 12–09–2022

दिनांक 11/12–09–2022 को रात्रि थाना बीबीडी 01, हजरतगंज 01, मड़ियॉव 01, मोहनलालगंज 02, पारा 02, गोमतीनगर 02, हसनगंज 01, सरोजनीनगर 01, एवं एन0बी0डब्लू0 में थाना नगराम 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 11 एवं एन0बी0डब्लू0 में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना पीजीआई–(मारपीट)दिनांक 12.09.2022 को थाना पीजीआई द्वारा बताया गया कि वादी श्री सचिन रावत पुत्र श्री दयाराम निवासी–डी2/136 सेक्टर ओ मानसरोवर योजना थाना आशियाना कानपुर रोड लखनऊ ने थाना पीजीआई पर सूचना दिया कि वादी दिनांक 11.09. 2022 को समय करीब 02.30 बजे दोपहर को किंयारा टीवीएस एजेन्सी हैवतमऊ मवैया रायबरेली रोड थाना पीजीआई अपाचे मोटरसाइकिल खरीदने के लिए आया था जहां पर टेस्ट ड्राइव के दौरान एजेन्सी के कर्मचारी चन्दन सिंह भी गये थे वापस लौटते समय जैसे ही वादी एजेन्सी के पास पहुंचा तो एजेन्सी के कर्मचारी चन्दन सिंह द्वारा वादी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज देने लगे तथा मारपीट पर आमादा हो गये व कहने लगे कि तुम्हारी क्या औकात है गाड़ी खरीदने की, तो वादी ने कहा कि इस तरह क्यों बात कर रहें हैं। तो चन्दन सिंह ने वादी व वादी की गाड़ी को गुस्से में आकर गिरा दिया और अन्दर एजेन्सी में चले गये तथा एजेन्सी के अन्दर से पाइप लेकर आये और वादी को मारने लगे । उसके बाद एजेन्सी से कुछ लोग आये और बीच बचाव करने लगे तब चन्दन सिंह उर्फ सूर्या सिंह ने अपने 03 साथियों जिसमें शिवम सिंह पुत्र बृजपाल सिंह, अभिषेक पाण्डेय व शिवम शुक्ला पता अज्ञात के साथ मिलकर वादी को गिरा कर लात घूसों व बेल्ट से बहुत बुरी तरह से मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दिया। वादी किसी तरह से अपनी जान बचाकर एजेन्सी की ओर भागा तब जाकर वादी की जान बच पायी। मौके पर मौजूद एजेन्सी के मालिक मैनेजर मौके पर उक्त घटना को देखते रहे और वादी को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, जिससे प्रतीत हो रहा है कि एजेन्सी के मैनेजर द्वारा वादी को मारने हेतु उपरोक्त व्यक्तियों को कहा गया था। **इस सूचना पर थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0 545/2022 धारा 323/506/506 भादवि व धारा 3(1)द /3(1)ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।**

मड़ियॉवः–(मारपीट)दिनांक 12–09–2022 को थाना मड़ियॉव द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती कविता रस्तोगी पत्नी शिवशंकर रस्तोगी निवासी प्रियदर्शनी कालोनी सेक्टर–बी मनकामेश्वर मन्दिर थाना मड़ियॉव लखनऊ ने थाना मड़ियॉव पर सूचना दिया कि दिनांक 11–09–2022 को समय करीब 02.00 बजे दिन में घरेलू विवाद को लेकर वादिनी के पिता श्री राम मनोहर सोनी को वादिनी के पति शिवशंकर रस्तोगी ने लाठी डन्डो से मारा पीटा, गाली गलौज किया व जान से मारने की धमकी दिया है। **इस सूचना पर थाना मड़ियॉव पर मु0अ0सं0 515/2022 धारा 323/504/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री प्रदीप कुमार द्वारा की जा रही है।**

<u>थाना गोमतीनगर–(पिटबुल प्रकरण)</u>दिनांक 12.09.2022 को थाना गोमतीनगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री प्रांचल मिश्रा (मृदुल)पुत्र श्री प्रदीप कुमार निवासी–म0नं0 2/622 विरामखण्ड गोमतीनगर लखनऊ ने थाना गोमतीनगर पर सूचना दिया कि शनिवार दिनांक 10.09.2022 को रात में वादी जब खाना खाकर अपनी मां के साथ साइकिल ट्रैक पर टहल रहा था उसी वक्त करीब समय 10.30 बजे रात्रि में एक पिटबुल कुत्ता वादी के ऊपर हमलावर हो गया। पिटबुल कुत्ते ने वादी को काटकर गिरा दिया। हांलाकि उसका निशाना वादी की मां थी, लेकिन वादी की मां अरविन्द मिश्रा उम्र करीब 55 वर्ष को बचाने में वादी को चोट आ गयी। वादी उठकर खड़ा हुआ और जो दो लड़के जिनमें से एक की उम्र करीब 10 से 12 वर्ष और दूसरे की उम्र करीब 18 से 20 वर्ष जो उसे टहला रहे थे, उन पर उक्त कुत्ता बरस पड़ा, जो कि स्वाभाविक था। मगर वादी का चोट देखकर वादी की मां परेशान हो गयी और कुछ ही देर में वादी सिविल अस्पताल में जाकर प्राथमिक उपचार कराया, और कुछ देर बाद अपने घर आया। **इस सूचना पर थाना गोमतीनगर पर मु0अ0सं0 575/2022 धारा 289 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना आशियाना–(कार चोरी)दिनांक 12.09.2022 को थाना आशियाना द्वारा बताया गया कि वादी श्री पीके सिंह निवासी–सेक्टर के म0नं0–570 रजनीखण्ड थाना आशियाना लखनऊ ने थाना आशियाना पर सूचना दिया कि वादी ने अपनी चार पहिया मारूति कार नं0 यूपी 32 एचपी 5660 को अपने मित्र के घर पता–2/53 रजनीखण्ड थाना आशियाना लखनऊ पर खड़ी किया था। दिनांक 11.09.2022 को समय करीब 06.00 बजे से 06.30 बजे के मध्य प्रातः रजनीखण्ड से वादी की मारूति ब्रेजा कार नं0 यूपी 32 एचपी 5660 को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। **इस सूचना पर थाना आशियाना पर मु0अ0सं0 451/2022 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया,** जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री विपिन कुमार गौतम मो0नं0 9044999900 द्वारा की जा रही है।